न्यायालयः—अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर।

कांटी—157/2018
जी0 आर0—281/2018

17.12.21 अभियुक्त अशोक राम, काजल देवी एवं मंजू देवी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया। इसकी प्रति विद्वान सहायक लोक अभियोजक को प्राप्त कराया गया है। जमानत के विन्दु पर विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी अभियुक्तगण निर्दोष है। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अनुसंधान के कम में इन्हें पुलिस जमानत पर छोड़ा गया है। न्यायालय में इनकी प्रथम उपस्थिति है। अभियुक्तगण वादा करते हैं कि अपने जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ने का प्रार्थना करते है।

जमानत के विन्दु पर सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत वाद में धारा 341, 323, 354, 447, 504, 506/34 भा0द0वि0 अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है। अनुंसंधान के कम में इन्हें पुंलिस जमानत पर छोड़ा गया था। सम्मन पश्चात् इनकी प्रथम उपस्थिति है। अतः प्रार्थी अभियुक्तों की ओर से मो0 5000x2 रूपये के समान राशि के प्रत्येक के द्वारा दो—दो जमानतदारों का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित,

प्र0, अनु0 न्या0दण्डा0, पश्चिमी
मुजफ्फरपुर।

बाद में

प्रार्थी अभियुक्तों की ओर से आदेश के अन्तर्गत बंध पत्र साथ जमानतदारों का शपथ पत्र दाखित किया गया जिसे जांचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित,

प्र0, अनु0 न्या0दण्डा0, पश्चिम
मुजफ्फरपुर।